न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 06/2019/ जिला–अजमेर (2019/00006)

1. विनोद लखीसरानी पुत्र रामचन्द जाति सिंधी निवासी गुलाब गैस एजेन्सी के सामने, राजीव कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर
2. श्री चन्दर लखीसरानी पुत्र रामचन्द जाति सिंधी निवासी गुलाब गैस एजेन्सी के सामने, राजीव कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर
3. श्री अनिल गंगवाल पुत्र पदमचन्द गंगवाल जाति जैन निवासी 357/12, राजेन्द्रपुरा, हाथीभाटा, अजमेर
4. श्री दिलीप मकवानी पुत्र कांतीलाल जाति गुजराती निवासी 559, ज्ञान विहार कॉलोनी, पुष्कर रोड़, अजमेर ।
5. श्री मनोहर वासवानी पुत्र हरूमल वासवानी जाति सिंधी निवासी मकान न0 370 उपवन, 20 मोहल्ला खारीकुई, अजमेर।
6. श्रीमती मोनिका वासवानी पत्नी मनोहर वासवानी जाति सिंधी निवासी मकान न0 370 उपवन, 20 मोहल्ला खारीकुई, अजमेर ।

––– अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर।

––––रेस्पोन्डेन्ट

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 26.12.2018
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 31/2018
बउनवान विनोद लखीसरानी बनाम राज0 सरकार

————

उपस्थित– 1. श्री मोहम्मद इकबाल़ अभिभाषक, अपीलांट्स
2. श्री बी.एस.शेखावत राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः– 28.06.2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माकड़वाली तहसील अजमेर में स्थित आजियात खाता संख्या 844 (नया) व खाता संख्या 747 (पुराना) के खसरा नम्बर 2505 रकबा 0.2100 ,2506 रकबा 0.1600 2761 रकबा 0.2100, 2762 रकबा 0.2400 का रेकार्डेड खातदोर काश्तकार होकर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजियात की मूल खातेदारी श्रीमति रमती बेवा लादू व जीवण पुत्र घासी 1/2 हिस्सा, रामदेव पुत्र भंवरा 1/2 हिस्सा जाति गूर्जर थे। जमाबंदी सम्वत 2041 के अनुसार खेवट खतौनी संख्या 462 नई व 470 पुरानी के खसरा नम्बर 208 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा बारानी–2, 209 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वांसी बारानी–दोयम 2010 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म बारानी 2 के खातेदार काश्तकार थे जिनमें तीनों खसरा नम्बरों की किस्म बारानी 2 दर्ज है। तत्पश्चात दो अलग–अलग विक्रय पत्रों के माध्यम से आराजी खसरा नम्बर 208, 209, 2010 में से 1/2 हिस्सा खरीद कर नामान्तरकरण संख्या 2587 दिनांक 14–8–2013 से जयकिशन पुत्र गोरधनदास, कमला पत्नी जयकिशन व लालपतराम व श्रीमति माला के 1/2 हिस्से पर अपीलांट्स का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज कर दिया गया। हाल ही में सम्पन्न हुई बन्दोबस्त कार्यवाही के पश्चात भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 208, 209 व 210 का मिलान क्षेत्रफल जिसमें आराजी खसरा नम्बर 208 के नवीन खसरा नम्बर 2761 मिन व 2762 मिन व साबिक खसरा नम्बर 209 के हाल खसरा नम्बर 2762 मिन को बिना मौके की जांच किये किस्म बारानी 2 से परिवर्तित करते हुए किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज कर दिया जिसकी दुरूस्ती के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–12–2018 से खारिज कर दिया। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलांट्स के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 2762 मिन की किस्म को गैर कानूनी रूप से भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिनाकिसी सक्षम न्यायालय के आदेश के परिवर्तित करते हुए किस्म बारानी–2 के स्थान पर गैर मुमकिन नाला दर्ज कर दिया। उक्त त्रुटि टंकण त्रुटि की श्रेणी में आती है जिसकी दुरूस्ती करने का क्षेत्राधिकार अधिनस्थ न्यायालय को था परन्तु उनके द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। विधि का यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि भू–प्रबन्ध विभाग को किसी भी तरह से पूर्ववत इन्द्राज को परिवर्तित करने का क्षेत्राधिकार का गलत उपयोग करते हुए

अपीलांट्स की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 2762 मिन की किस्म बारानी–2 के स्थान पर गैर मुमकिन नाला दर्ज कर दी जो विधिविरूद्ध था जिसकी दुरूस्ती की जाकर पुनः पूर्ववत किस्म दर्ज की जानी चाहिए थी। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को बिना देखे तथ्यों को बिना समझे खारिज कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलांट्स के द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष करवाये जाने से पूर्व एक प्रार्थना पत्र संख्या 74/2016 विनोद बनाम सरकार के नाम जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय दिनांक 19–4–2018 को हुआ जिसमें जिला कलक्टर अजमेर द्वारा उक्त प्रकरण टंकण त्रुटि से संबंधित माना गया और जिसकी दुरूस्ती का क्षेत्राधिकार अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर को होना दर्शाते हुए निर्देशित कर दिया जिसके पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र संख्या 74/2016 में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट तलब की गई जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि उक्त भूमि की किस्म बारानी–2 है सहवन से उपरोक्त किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज हो गयी है जिसकी दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है। उक्त मौका रिपोर्ट भी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध होने के पश्चात भी उक्त मौका रिपोर्ट को नजरअन्दाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–12–2018 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट तहसीलदार अजमेर की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। वर्तमान राजस्व जमाबंदी सम्वत 2065 से 2084 के खाता संख्या नया 747 पुराना के खसरा नम्बर 2762 रकबा 0.24 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज है, इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमें प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है।

मैंने अपीलांट के विद्वान अभिभाषक एवं तहसीलदर, अजमेर की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम माकड़वाली तहसील अजमेर में स्थित आजियात खाता संख्या 844 (नया) व खाता संख्या 747 (पुराना) के खसरा नम्बर 2505, 2506, 2761, 2762 का रेकार्डेड खातदोर काश्तकार होकर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजियात की मूल खातेदारी श्रीमति रमती बेवा लादू व जीवण पुत्र

घासी 1/2 हिस्सा, रामदेव पुत्र भंवरा 1/2 हिस्सा जाति गूर्जर थे। जमाबंदी सम्वत 2041 के अनुसार खेवट खतौनी संख्या 462 नई व 470 पुरानी के खसरा नम्बर 208, 209, 2010 किस्म बारानी 2 के खातेदार काश्तकार थे जिनमें तीनों खसरा नम्बरों की किस्म बारानी 2 दर्ज है। तत्पश्चात दो अलग–अलग विक्रय पत्रों के माध्यम से आराजी खसरा नम्बर 208, 209, 2010 में से 1/2 हिस्सा खरीद कर नामान्तरकरण संख्या 2587 दिनांक 14–8–2013 से जयकिशन पुत्र गोरधनदास, कमला पत्नी जयकिशन व लालपतराम व श्रीमति माला के 1/2 हिस्से पर अपीलांट्स का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज कर दिया गया।

जैसा कि अपील अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपील मीमो एवं दौराने बहस यह कथन किया गया है कि हाल ही में सम्पन्न हुई बन्दोबस्त कार्यवाही के पश्चात भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 208, 209 व 210 का मिलान क्षेत्रफल जिसमें आराजी खसरा नम्बर 208 के नवीन खसरा नम्बर 2761 मिन व 2762 मिन व साबिक खसरा नम्बर 209 के हाल खसरा नम्बर 2762 मिन को बिना मौके की जांच किये किस्म बारानी 2 से परिवर्तित करते हुए किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज कर दिया। भू–प्रबन्ध विभाग को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भूमि की किस्म परिवर्तित करने के कोई अधिकार नहीं है। किन्तु उनके द्वारा अपने कथन के समर्थन/पुष्टि में बन्दोबस्ती कार्यवाही से पूर्व का ऐसा कोई राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि बन्दोबस्ती कार्यवाही से पूर्व कभी भी उक्त आराजियात किस्म गै0मु0नाला न रही हो।

अपीलांट्स ने जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष धारा 150 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भूमि की किस्म दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया था जिसे निरस्त कर धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार सेटलमेन्ट ऑपरेशन के तहत किये गये गलत इन्द्राज को लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर को सही करने का अधिकार है।

पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी की नकले एवं तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं पटवारी हलका की मौका रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ग्राम माकड़वाली के हाल खसरा नम्बर 2762 रकबा 0.24 किस्म गै0मु0नाला जो कि वर्किंग खसरा नम्बर 208 में से 0.07 है0 व वर्किंग खसरा नम्बर 209 का रकबा 01–00–10 बीघा अर्थात 0.17 है0 से मिलकर बने है। तथापि उनका यह कथन वर्किंग जमाबंदी अनुसार खाता संख्या 462 में खसरा नम्बर 208 रकबा 01–15–00 बीघा किस्म बारानी 2 व खसरा नम्बर 209 रकबा 01–00–10 बीघा किस्म बारानी–2 दर्ज है। तद्नुसार साबिक खसरा नम्बर 208, 209 जिनकी पूर्व में किस्म बारानी–2 थी परन्तु इन खसरों से मिलकर बने हाल खसरा नम्बर 2762 रकबा 0.24 है0 मौके पर समतल भूमि के रूप में है जिसकी

किस्म गै0मु0 नाला त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज है जिसे सहवन से भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गै0मु0नाला दर्ज कर दिया गया था जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है किन्तु तहसीलदार द्वारा भी अपने जवाब व कथन के समर्थन/पुष्टि में बन्दोबस्ती कार्यवाही से पूर्व का ऐसा कोई राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि बन्दोबस्ती कार्यवाही से पूर्व कभी भी उक्त आराजियात किस्म गै0मु0नाला न रही हो। इस प्रकार न तो अधिनस्थ न्यायालय एवं न ही न्यायालय हाजा में ऐसा कोई राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि बन्दोबस्ती कार्यवाही से पूर्व कभी भी उक्त आराजियात किस्म गै0मु0नाला न रही हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर नये सिरे से राजस्व रेकार्ड की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आलोक में अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–12–2018 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 31/2018 बउनवान विनोद लखीसरानी व अन्य बनाम राज0 सरकार निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर एवं अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर साक्ष्य व सबूत के आधार पर अपना विवेचन करते हुए नये सिरे से युक्ति–युक्त एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर